न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 08/2022

अपीलार्थी

पंकुदेवी पुत्री जेठाराम जी पत्नी स्व. रूपाराम जी, जाति–वागरी, निवासी–डोडुआ, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. दोना उर्फ कानिया पुत्र स्वर्गीय जेठा जी, जाति– वागरी, निवासी– वेलांगरी, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही
2. मोहनलाल पुत्र भीखा जी, जाति–वागरी, निवासी वेलांगरी, तह. व जिला सिरोही
3. मंजु पत्नी छगनलालजी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी, तह. व जिला–सिरोही
4. विष्णु पुत्र छगनलाल जी, जाति– वागरी, नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता मंजु पत्नी छगनलाल जी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी, तहसील व जिला सिरोही
5. सोनु पुत्री छगनलाल, कुदरती वलीया माता मंजुदेवी पत्नी छगनलाल जी, जाति– वागरी, निवासी–वेलांगरी, तहसील व जिला–सिरोही
6. सुरेश पुत्र सदाराम जी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी तह. व जिला सिरोही
7. अशोक पुत्र सदाराम जी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी, तह. व जिला सिरोही
8. रमेश पुत्र सदाराम जाति–वागरी, निवासी– वेलांगरी, तहसील व जिला सिरोही
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री प्रदीप कलावन्त, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दहिया, प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 7 व 8 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या 9 (नौ) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 22 अप्रेल, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम गुआरीखेडा, पटवार हल्का वेलांगरी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 23–5–1989 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन व नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दहिया उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 9 (नौ) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 3 स 6 को सम्मन व नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 के पिता/पति व पूर्व रसाधिकारी स्वर्गीय जेठा जी पुत्र

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

वाला जी वागरी, निवासी— वेलांगरी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम गुआरीखेडा, पुराना पटवार हल्का कृष्णगंज, वर्तमान पटवार हल्का वेलांगरी में आई हुई है, जिसके खाता संख्या नया 238 पुराना 255 खसरा संख्या 125 रकबा 0—0200 हेक्टेयर किस्म गै.मु. चाह, खसरा संख्या 126 रकबा 1—7600 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 व खसरा संख्या 127 रकबा 0—7100 बारानी 3 कुल किता 3 रकबा 2—4900 हेक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय जेठा जी की मृत्यु के बाद अपीलार्थी का 1/5 हक हिस्सा है एवं इस प्रकार, अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 भी अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं उसी अनुसार मौके पर काबिज है। यह कि स्वर्गीय जेठा जी पुत्र वालाजी वागरी के वारिसान में उनकी पत्नि कदकी एवं पुत्र सदाराम, भीखराम, रावा, कानिया उर्फ दोना व लाला है व पुत्री पंकुदेवी है, जिनमें से लाला की नाऔलाद मृत्यु हो गई थी। यह कि अपीलार्थी के पिता एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 के पूर्व रसाधिकारी जेठा जी पुत्र वाला जी वागरी की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, कृष्णगंज द्वारा स्वर्गीय जेठाजी पुत्र वाला जी वागरी की उक्त खातेदारी कब्जे—काश्त की कृषि भूमि के संबंध में स्वर्गीय जेठा जी के पुत्र सदाराम, भीखाराम, रावा, कानिया उर्फ दोना एवं जेठाजी की पत्नि कदकी के नाम से उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 279 दायर किया गया, जो नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 23.5.1989 को स्वीकृत किया गया है। इस नामान्तरकरण में पटवारी हल्का, कृष्णगंज द्वारा अपीलार्थी पंकु का नाम दर्ज नही किया है एवं नायब तहसीलदार, सिरोही ने भी उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व मृतक खातेदार जेठाजी पुत्र वालाजी वागरी के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नही की है। जबकि अपीलार्थी पंकुदेवी भी उक्त मृतक खातेदार स्वर्गीय जेठाजी पुत्र वाला जी वागरी की जायन्दा पुत्री है एवं पिता की सम्पति में पुत्र के समान पुत्री को भी हक अधिकार प्राप्त है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वर्गीय जेठा जी वागरी के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से दायर किया जाकर स्वीकृत करना चाहिये था, लेकिन इसमें अपीलार्थी के नाम को सम्मिलित नहीं करने के कारण उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है। इस कारण से उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण 279 को स्वीकृत करते समय अपीलार्थी के हित प्रभावित हो रहे थे, फिर भी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की गई है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 279 को दायर करने से पूर्व पटवारी हल्का, कृष्णगंज द्वारा जेठा जी पुत्र वाला जी वागरी के विधिक वारिसानों के संबंध में जांच नही की गई है एवं न ही नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व जेठाजी पुत्र वाला जी के उत्तराधिकारियों के संबंध में कोई जांच नही की गई है। जबकि मृतक खातेदार जेठा पुत्र वाला जी वागरी के विधिक वारिस उनकी पुत्री अपीलार्थी पंकुदेवी द्वारा अपनी पुश्तैनी भूमि को अपने भाईयों व माता के हक में कोई रिलीज डीड या बक्शीश नही किया गया है व न ही दान की हैं, न ही बेचान की है, न ही अपना हक त्याग किया है। उक्त विदित कृषि भूमि अपीलार्थी के पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की है, जो अपीलार्थी के पिताजी स्वर्गीय जेठा, जाति—वागरी, निवासी—गुआरीखेड़ा के खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही थी, जिससे उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का भी समान रुप से हक हिस्सा है। यह कि उक्त गलत दायर व स्वीकृत नामान्तरकरण के संबंध में अपीलार्थी को पूर्व में जानकारी नही रही है तथा उक्त कृषि भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 द्वारा बेचान करने की धमकी देने पर अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि के संबंधित नये व पुराने रेकर्ड के संबंध में जानकारी करने पर अपीलार्थी को यह प्रथम बार जानकारी हुई कि अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय जेठाजी पुत्र वालाजी की मृत्यु के बाद उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार के दायर व स्वीकृत

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नामान्तरकरण में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही किया गया है तथा केवल मात्र स्वर्गीय जेठाजी पुत्र वालाजी वागरी के पुत्रों व पत्नी के नाम से ही नामान्तरकरण दायर होकर स्वीकृत हुआ है। अपीलार्थी को उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में प्रथम बार दिनांक 20.01.2022 को जानकारी हुई एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि के पुराने व नये कागजातों की नकल प्राप्त की गई एवं नकल प्राप्त करने की अवधि को कम हुए अपीलार्थी द्वारा यह अपील जानकारी तिथि से अन्दर मियाद इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण है एवं विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने में अपीलार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर अपीलार्थी की अपील विरुद्ध प्रत्यर्थीगण स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम गुआरीखेडा, पुराना पटवार हल्का कृष्णगंज, वर्तमान पटवार हल्का वेलांगरी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 23.5.1989 को निरस्त किया जावे एवं तहसीलदार, सिरोही को मृतक खातेदार जेठा जी पुत्र वालाजी वागरी, निवासी– वेलांगरी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में अपीलार्थी के नाम से 1/5 हक हिस्से का एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 के पक्ष में उनके हक हिस्से अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करने हेतु आदेशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 7 व 8 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का कोई हक हिस्सा नही है तथा न ही उक्त कृषि भूमि के मौके पर अपीलार्थी का कब्जा–काश्त है, बल्कि मौके पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 का कब्जा एवं काश्त करते आ रहे है। अपीलार्थी ने अपील में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी पंकुदेवी, मृतक खातेदार जेठाजी पुत्र वालाजी वागरी की जायन्दा पुत्री हो। नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसेडिंग है, जिसके द्वारा अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। अधिकारों को सक्षम न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। अपीलार्थी को उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 23.5.1989 के संबंध में पूर्व से ही भलीभांति जानकारी रही है एवं अपीलार्थी को यह भी जानकारी रही है कि स्वर्गीय जेठाजी पुत्र वालाजी वागरी की उक्त कृषि भूमि में उसका कोई हक हिस्सा न तो बनता है व न ही है, लेकिन लोगों के बहकावें में आकर अपीलार्थी ने मनगंढत तथ्यों को आधार बनाकर जानबूझकर विलम्ब से यह अपील प्रत्यर्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा योग्य नही है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम एवं अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि मृतक खातेदार जेठा पुत्र वालाजी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, कृष्णगंज द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 279 दायर किया गया, जो नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 23.5.1989 को स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम गुआरीखेडा, पुराना पटवार हल्का कृष्णगंज (वर्तमान पटवार हल्का, वेलांगरी) के खसरा संख्या 125 रकबा 0–0200 हेक्टेयर किस्म गै.मु. चाह, खसरा संख्या 126 रकबा 1–7600 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 व खसरा संख्या 127 रकबा 0–7100 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 कुल खसरे 3 रकबा रकबा 2–4900 हेक्टेयर भूमि के खातेदार जेठा पुत्र वाला जी, जाति– वागरी, निवासी–

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

वेलांगरी की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, कृष्णगंज द्वारा सदीया, भीखा, रावा, कोना पुत्रगण जेठा जी, जाति—वागरी एवं कदकी पत्नी जेठा जी, जाति—वागरी, निवासी—वेलांगरी के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 279 दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 23.5.1989 को स्वीकृत किया गया है। नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 23.5.1989 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04—3—2022 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 23—5—1989 के संबंध में सर्वप्रथम दिनांक 20—01—2022 को जानकारी होना बताते हुए नकल प्राप्त करने की अवधि को कम करते हुए जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 23—5—1989 के संबंध में पूर्व से ही जानकारी रही हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपील प्रस्तुत करने की अवधि जानकारी तिथि से लागू होती है, न कि आदेश की तारीख से। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

अपीलार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि "अपीलार्थी के पिता एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 के पूर्व रसाधिकारी जेठा जी पुत्र वाला जी वागरी की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, कृष्णगंज द्वारा स्वर्गीय जेठाजी पुत्र वाला जी वागरी की उक्त खातेदारी कब्जे—काश्त की कृषि भूमि के संबंध में स्वर्गीय जेठा जी के पुत्र सदाराम, भीखाराम, रावा, कानिया उर्फ दोना एवं जेठाजी की पत्नि कदकी के नाम से उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 279 दायर किया गया, जो नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 23.5.1989 को स्वीकृत किया गया है। इस नामान्तरकरण में पटवारी हल्का, वेलांगरी द्वारा अपीलार्थी पंकु का नाम दर्ज नही किया है एवं नायब तहसीलदार, सिरोही ने भी उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व मृतक खातेदार जेठाजी पुत्र वालाजी वागरी के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नही की है। जबकि अपीलार्थी पंकुदेवी भी उक्त मृतक खातेदार स्वर्गीय जेठाजी पुत्र वाला जी वागरी की जायन्दा पुत्री है एवं पिता की सम्पति में पुत्र के समान पुत्री को भी हक अधिकार प्राप्त है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वर्गीय जेठा, जाति— वागरी के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से दायर किया जाकर स्वीकृत करना चाहिये था, लेकिन इसमें अपीलार्थी के नाम को सम्मिलित नहीं करने के कारण उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है।"

अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी पंकुदेवी, मृतक खातेदार जेठा जी पुत्र वाला जी वागरी, निवासी— वेलांगरी की जायन्दा पुत्री हो। अपीलार्थी ने अपील में उक्त कृषि भूमि के मौके पर अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा—काश्त होना अंकित किया है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 7 व 8 के अधिवक्ता के कथनों के अनुसार उक्त विवादित कृषि भूमि के मौके पर अपीलार्थी का कब्जा—काश्त नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी एवं फिस्कल प्रोसीडिंग है, जिसके द्वारा भूमि पर स्वत्व एवं खातेदारी हक अधिकारों का

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निर्धारण नही किया जा सकता है। खातेदारी हक अधिकारों का निर्धारण सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर ही करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अन्र्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही